हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/12/25 पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी खाता सं0 नयी 163 पुरानी 129 ख0सं0 620 रकबा 0.9227 हेक्टे0 वाके ग्राम जाखमुण्ड पटवार हल्का जाखमुण्ड तह0 तालेडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। वाद वर्णित आराजी भू-बन्दोबस्त अवधि 2028-47 से पूर्व खातेदार पृथ्वी वल्द रामचन्द्र कोम बंजारा के खातेदारी में दर्ज थी। जिसके तत्समय ख0सं0 430/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख0सं0 430/1ग रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख0सं0 430/3/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, ख0सं0 430/2घ रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा , ख0सं0 532/6 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा दर्ज थी। जिसके नये नम्बरी 620 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा व 644 रकबा 18 बिस्वा दर्ज हुए। जो भू-बन्दोबस्त के समय हजारी वल्द चतरा, पृथ्वी वल्द रामचन्द के खातेदारी में गलती से दर्ज कर दी गई तथा वर्तमान में उक्त भूमि ख0सं0 620 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। पृथ्वी जी के दो पत्नीया रानीबाई व टकोडीबाई थी। रानीबाई के एक पुत्र पन्ना था पन्ना के बाल्याकाल में रानीबाई की मृत्यु होने पर पृथ्वी जी ने दुसरी शादी टकोडीबाई से की जो शादी के समय ही दो पुत्र कान्हा व नन्दा व एक भाई साथ में लायी थी। इस तरह अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 का उक्त भूमि पर कोई हक अधिकार नही बनता है। इस प्रकार पृथ्वी जी का एक मात्र पुत्र पन्ना ही था वादीगण पन्ना की सन्ताने है एवं पृथ्वी जी के पौत्र होने से सम्पूर्ण आराजी पर हक अधिकार रखते है। पृथ्वी एवं हरजी के मध्य आपस में जाति समाज के व्यक्ति होने से सम्बन्ध में तथा खातेदार पृथ्वी अनपढ होने का फायदा उठाकर हरजी नामक व्यक्ति द्वारा भू-बन्दोबस्त अवधि 2028-47 के दौरान सेटलमेन्द अधिकारियों व राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करते हुए पूर्व खातेदार पृथ्वी के साथ हरजी ने खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवा लिया, जबकि वाद वर्णित आराजी पर पृथ्वी जी का ही कब्जा काश्त रहा है, एवं उनकी मृत्यु पश्चात प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर कभी भी ना तो हरजी का ना ही हरजी के वारिसान का कब्जा काश्त रहा है केवल मात्र नाम की प्रविष्टि का फायदा उठाते हुए प्रार्थीगण को अपने अधिकारो से वंचित पर आमादा है। अप्रार्थी सं0 1 को कई बार उक्त अवैध हस्तान्तकरण के विरूद्व अवगत कराते हुए वाद वर्णित आराजी में अप्रार्थी सं0 1 का नाम विलोपित करवाकर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया गया किन्तु अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि को रहन बेचान करने की धकमी दी जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 7 ने पृथ्वी जी के फोती नामान्तकरण के दौरान मिली भगत कर पन्ना जी के साथ अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही बनता अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थी सं0 2 लगायत 7 का नाम विलोपित करवा कर भूमि अपने नाम घोषित करवावे। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 राजस्व रेकार्ड में अपना दर्ज रेकार्ड होने से फायदा उठाकर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर उपयोग उपभोग में व्यवधान न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें साथ ही वाद वर्णित आराजी का रहन बेचान अथवा हस्तान्तरण करे। इस हेतु अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया ओर अप्रार्थीगण वाद वर्णित आराजी को रहन बेचान हस्तान्तरण अथवा कब्जा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति कभी सम्भव नही है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद वर्णित को ताफैसला वाद अप्रार्थीगण	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नही करे, रहन बेचान अथवा हस्तान्तकरण ना तो स्वयं करे, ना अपने प्रतिनिधी से करावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहखातेदार है। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी रबी संवत 2077 अनुसार वाद वर्णित आराजी पर समस्त खातेदारान् का नाम दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। ना ही प्रार्थीगण द्वारा दौराने ट्रायल एवं बहस ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे यह प्रमाणित हो कि सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर भी विचार करने पर सहखातेदार होने से उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा से समस्त खातेदारान् को क्षति होगी क्योकि वे अपने खातेदारी अधिकार से वंचित होंगे। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।